nbt.india
एक: सूते सकलम्

साक्षर भारत

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास साक्षरता संवाद

साक्षरताकर्मियों के लिए

मूल्य: एक प्रति ₹ 0.50: वार्षिक ₹ 5.00

जनवरी 2015 • वर्ष 20. अंक 01

जनवरी 2015 वर्ष 20, अंक 01

जनजातीय विकास की चुनौती और साक्षर भारत कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जनजातियों के विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान, कानून एवं विकास कार्यक्रम बनाये गए हैं। ये विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं– पहली श्रेणी में वे कार्यक्रम आते हैं जो जनजातियों की आंतरिक क्षमता को विकसित करने से संबंधित होते हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता को सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में वे कार्यक्रम आते हैं जो जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सीधे-सीधे संबंधित होते हैं, जिनमें उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वयं का विकास करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी श्रेणी में क्षेत्रीय विकास की अनेक परियोजनाएँ आती हैं। इनमें अधिकांश परियोजनाएँ मूलतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के एक हिस्से के रूप में बनाई जाती हैं। ये परियोजनाएँ आज के संदर्भ में जनजातियों के हितों के पूर्णतः विपरीत होती हैं। इन परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले और उनके आसपास रहने वाले, परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों (दुष्प्रभावों) की आँधी का सामना करने को मजबूर हैं। जनजातियों के लिए आर्थिक विकास का यह सौदा काफी महँगा पड़ा है। साक्षरता एवं शिक्षा के अभाव में जनजातियों ने इनसे कुछ पाने की अपेक्षा खोया अधिक है।

व्यवहार में हम देखते हैं कि देश में जनजातियों के विकास हेतु बनाये गए विशेष प्रावधानों, कानूनों एवं विकास योजनाओं का लाभ जनजातियों के केवल वे लोग ही उठा पा रहे हैं जो साक्षर होकर शिक्षित एवं जागरूक हैं। ठेठ बियाबान एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले वनवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और विकास से कोसों दूर हैं।

परंपरा के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध जनजातियों को शोषण एवं अत्याचार से बचाने एवं उनके समुचित विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा एवं साक्षरता और जनजागरण जैसे कार्यक्रमों को देना चाहिए। इस हेतु न केवल जनजातियों के बच्चों को शिक्षित बनाना होगा बल्कि प्रौढ़ निरक्षरों को भी साक्षर बनाने का संकल्प लेना होगा। इससे जनजातीय लोगों की आंतरिक क्षमताओं का विकास होगा और वे स्वयं परिवर्तन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि हम सभी चीज़ों को हमेशा साक्षरता एवं शिक्षा की दृष्टि से ही देखते हैं, परंतु क्या लोगों के विकास को मापने के लिए इससे अच्छी कोई दृष्टि हो सकती है? अब तक विकास कार्यक्रमों के लिए किये गए अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अधिकांश विकास कार्यक्रमों तथा संसाधनों का लाभ वही लोग उठा पाए जो शिक्षित एवं जागरूक थे।

वनवासी लोग शिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण इन लाभों से वंचित रहे। पुरानी संस्कृति वाले लोग जो पढ़-लिख नहीं सकते, संसार का ध्यान अपनी ओर खींच नहीं पाते। इसी प्रकार, साक्षरता के कम प्रतिशत वाले जनजातीय क्षेत्र अपनी ओर राज्य तथा अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए जिस कारण अविकसित रह गए तथा आज भी वे विकास को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में विकास हम उन लोगों पर थोप नहीं सकते। साक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा उनकी सोच एवं दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाकर ही उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

देश के माथे से निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए आज़ादी के बाद से ही सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन देश के 410 जिलों (म.प्र. के 42 जिलों) में किया जा रहा है। इनमें सभी दूर-दराज के आदिवासी-बहुल जिलों को शामिल किया गया है। 'साक्षर भारत कार्यक्रम' का लक्ष्य 15 से अधिक आयु वर्ग के सात करोड़ लोगों को साक्षर करना है, जिसमें एक बड़ी संख्या जनजातियों की है।

साक्षर भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिलों में विभिन्न स्तर के जिला विकास खंड एवं ग्राम पंयाचत लोक शिक्षा समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की गई है। ज़मीनी स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। लोक शिक्षा केंद्रों का प्रबंधन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समितियों द्वारा किया जा रहा है। सरपंच इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रत्येक लोक शिक्षा केंद्र पर साक्षरता एवं सतत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु दो प्रेरकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एक प्रेरक अनिवार्य रूप से महिला को बनाया गया है।

इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता का प्रवेश तो हो चुका है, किंतु अभी यह प्रारंभिक अवस्था में है। अपर्याप्त संचार सुविधाएँ तथा दूरदराज के गाँवों तक न पहुँच पाने की स्थिति, स्वयंसेवी शिक्षकों का अभाव, अभिप्रेरणा की कमी आदि ऐसे कारक हैं जिससे साक्षरता के प्रचार-प्रसार में कठिनाई आ रही है। प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किये गए अनेक प्रयासों के बावजूद जंगलों एवं पहाड़ों के बीच सुदूर अंचल में बसे गाँवों में अभी भी साक्षरता का स्तर नीचे है। घने जंगलों, पहाड़ों तथा नदी-नालों के बीच कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ वर्षा ऋतु में कई माह तक पहुँचना संभव नही होता तथा गरमी के महीनों में इन क्षेत्रों में अधिक गरमी पड़ने के कारण यात्रा करना कठिन होता है, जिसके कारण वर्ष के अधिकांश समय में ये गाँव अभी भी राज्यों के मुख्य भाग से कटे रहते हैं।

अतः साक्षरता का कोई भी कार्य केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसमें जनभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षर भारत कार्यक्रम में सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए संसाधनों से समाज में प्रौढ़ साक्षरता का एक ऐसा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है जिससे दूरदराज के जंगलों एवं पहाड़ों के बीच कठिन परिस्थितियों में रहने वाले जनजातीय लोगों में पढ़ने की ललक जगाई जा सके। उनके मन से यह भ्रम निकालना आवश्यक है कि अब तो उनकी इतनी उम्र हो गई, बुड्ढ़े हो गए, अब पढ़-लिखकर क्या करेंगे? उनके मन में ऐसे विचारों को जागृत करना है कि पढ़ने की आवश्यकता संस्कारों के निर्माण के लिए है। संस्कार मनुष्य के साथ जन्म-जन्मांतर तक विद्यमान रहते हैं। उनकी मनोवृत्तियों में ऐसा परिवर्तन करना है जिससे वे समझ सकें कि जो व्यक्ति या समाज अपनी निम्न अवस्था से उठकर संसार में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता पढ़ने-लिखने के साथ सामाजिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, जादू-टोना, संदेह एवं मद्यपान को दूर करने तथा विकास योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर देश की मुख्य धारा से जुड़कर विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। वर्तमान में साक्षर भारत कार्यक्रम के माध्यम से साक्षर बनने का अवसर मिलता है। अतः इस अवसर का लाभ लेकर जनजातीय लोग साक्षर बनें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें, यही हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए।

साभार : जनसाक्षरता (पत्रिका)

(इंदौर)

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना'

केंद्र सरकार ने इस बार के आम बजट में महिला और बालिकाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं को शामिल किया है, उनमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा से इस योजना का शुभारंभ किया।

देश के कई हिस्सों में आज भी बेटियों के साथ भेदभाव होता है जिस कारण अनेक राज्यों में लिंगानुपात का अंतर बढ़ रहा है। भ्रूण हत्या जैसी घटनाएँ रुक नहीं पा रहीं जबकि बेटियों को शिक्षा और रोजगार सुलभ कराने में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बाधाएँ बराबर कायम हैं। ऐसे में देश में बेटियों को बचाने और उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी का अवसर देने के लिए इस योजना को शुरू करने हेतु सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मानव संसाधन के विकास में बड़ी बाधा को कम करने लिए लाई जा रही इस योजना से देश से महिलाओं और बेटियों के प्रति भेदभाव और लिंगानुपात के अंतर को कम करने की ठोस शुरुआत की जाएगी। सरकार इसके जरिये बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि इस योजना की बदौलत बालिका शिक्षा की दर को भी बढ़ाया जाये और महिलाओं के कल्याण और बालिकाओं के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

इसी के तहत, केंद्र सरकार के इस बार के आम बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी सड़क परिवहनों में प्रायोगिक योजना शुरू करने का प्रावधान है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 50 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

सरकार का दावा है कि वह महिला एवं बाल विकास पर विशेष बल दे रही है। इसके साथ ही कई शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान बजट में किया गया है। यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी।

हरियाणा की पहल

शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने लोक निर्माण विश्राम गृह से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ प्रचार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के कैलेंडर का अनावरण भी किया।

नई दिल्ली में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' लोगो को रिलीज करतीं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गाँधी

इस यात्रा में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी साइकिलों पर, पैदल, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर, कार्यकर्ता, मानव सेवा समिति तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हुए।

श्री शर्मा ने कहा कि नारी के सम्मान के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा से इसलिए किया जा रहा है कि प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति बड़ी चिंतनीय है। घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं रोहतक से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ प्रचार यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में यह धारणा है कि लड़का जरूर होना चाहिए, जब घर में लड़की पैदा हो जाती है तो उसे बोझ समझने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस धारणा को समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए।

राजस्थान के दस जिलों में शुरू होगी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना

बाल लिंगानुपात को बढ़ाने, लड़कियों के संरक्षण एवं शिक्षा के लिए शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दस जिलों का चयन किया गया है। योजना में सीकर, झुंझुनू, करौली, गंगानगर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने योजना के लिए देश के 100 जिलों का चयन किया है।

नवसाक्षर साहित्यमाला के अंतर्गत कुछ श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ : एक परिचय

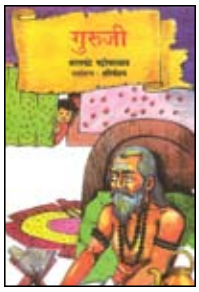

गुरुजी

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

रूपांतरण : हरिमोहन पृ. 16 ₹ 12.00

कहानी में एक किशोरवय बच्चे, लालू की शरारतों और शैतानियों का पिटारा है जिससे गुरुजी भी नहीं बच सके। लालू बचपन से ही शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से उसकी माँ के पाँवों में मोच आ गई थी जिससे वे सात दिनों तक लँगड़ाकर चलीं। लालू के पिता अमीर थे। उन्होंने कुछ साल पहले तीन मंजिला मकान बनवाया था। लालू की माँ चाहती थीं कि इस नए मकान में गुरुजी भोजन करें तो मकान शुद्ध हो जाए। गुरुदेव आए भी। लालू की माँ नंद रानी ने उनके स्वागत में कुछ उठा न रखा। नीचे के कमरे में गुरुजी के आराम हेतु व्यवस्था की गई और पूजा हेतु भी नीचे के कमरे में ही जगह बनाया गया। रात को खा-पीकर सब सोने चले गए। गुरुजी भी बिस्तर पर लेट गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात को गुरुजी की नींद देह पर टपक रहे पानी से टूटी। उन्होंने जगह बदली, पर वहाँ भी वही हाल। थककर वे कमरे के बाहर आकर बेंच पर बैठ गए। मच्छरों ने उन्हें काफी परेशान किया। सुबह लालू की माँ ने जब यह नजारा देखा तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। वह लालू पर चीखी, चिल्लाई, पर लालू तो मौसी के घर भाग चुका था और कई दिनों तक वहीं रहा।

ISBN 18-237-4391-2

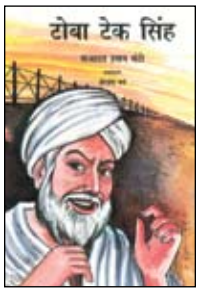

टोबा टेक सिंह

सआदत हसन मंटो

रूपांतरण : शेरगंज गर्ग पृ. 20 ₹ 12.00

भारत के विभाजन के दो-तीन साल बाद दोनों देशों की सरकारों ने एक-दूसरे के यहाँ रह रहे पागलों की अदला-बदली का निर्णय लिया। इस योजना की जानकारी होने पर लाहौर के पागलखाने के पागल भ्रमित हो गए। ये यह नहीं समझ पा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है और उन्हें इधर से उधर क्यों किया जा रहा है। खूब दिलचस्प बातें हो रही हैं उनके बीच और हरकतें भी बेहद ऊलजुलूल। एक सिख पागल पेड़ पर चढ़ गया औ बोला— मैं यहीं रहूँगा। न भारत जाऊँगा, न पाकिस्तान। एक सिख पागल हर समय अबूझ शब्द-समूह का प्रयोग करता। इसी क्रम में वह अपनी बोली में 'टोबा टेक सिंह' शब्द भी उठा लाया और सबसे पूछता फिरता— यह टोबा टेक सिंह कहाँ है? कहाँ का रहने वाला है? कोई कुछ बता नहीं पाता। पिछले 15 वर्षों में वह न तो कभी नहाया, न सोया। उसके रिश्तेदार आते, मिलते, चले जाते। वह अपने मुलाकातियों से भी टोबा टेक सिंह कहाँ है, ऐसा पूछता रहता। अदला-बदली के क्रम में उसे भी वाघा सीमा पर लाया गया। वहाँ भी 'टोबा टेक सिंह कहाँ है' की रट बनी रही। सूरज निकलने से पहले उस पागल, बिशन सिंह के गले से चीख निकली। वह बीच के जमीन पर उस अनाम टुकड़े पर औंधे लेटा था, जो न पाकिस्तान था, न भारत।

ISBN 81-237-4351-3

काकी

सियारामशरण गुप्त पृ. 8 ₹ 7.00

बालक शामू उस रोज सवेरे ही जग गया था। घर में कोहराम मचा था। काकी नीचे जमीन पर लेटी थी और सब परिजन उन्हें घेरे खड़े थे और रो-रोकर बेहाल हो रहे थे। शामू को कुछ समझ न आया। वह काकी के देह से जा लगा। दाह-संस्कार के लिए बड़ी मुश्किल से परिजन काकी को ले जा सके। समय बीता। शामू को पता चल गया— काकी भगवान के यहाँ चली गई है, भगवान राम के पास। एक दिन शामू ने पतंग देखी। उसका मन खिल उठा। एक योजना दिमाग में कौंधी। उसने मौका पाकर बिसेसर काका के कोट से चवन्नी निकाली और सुखिया दासी के लड़के, भोला को देकर बोला— जल्दी से एक पतंग और डोर मँगा दे। उसने योजना का खुलासा किया— पतंग भगवान राम के यहाँ भेजेगा। काकी डोर पकड़कर नीचे आ जाएगी। भोला ने कहा— रस्सी मोटी होनी चाहिए, नहीं तो काकी उतर नहीं पाएगी। शामू ने फिर चोरी की। मोटी रस्सी आ गई। दोनों मिलकर पतंग में रस्सी बाँधने की तैयारी में लग गए। तब तक कमरे में बिसेसर काका आ धमके। भोला ने शामू के चोरी की बात बता दी। काका ने शामू को तमाचे जड़े। पतंग और डोर देखकर पूछा— किसने मँगाई? भोला ने सच्चाई बताई। पतंग पर लिखा था— काकी। काका स्तब्ध रह गए।

ISBN 978-81-237-1324-3

पतंग

मनोज दास अनु. : राजेंद्र मिश्र, पृ. 16 ₹ 7.00

यह कहानी हत्या के आरोपी कुंज की है। कुंज जब छोटा था तो उसे पतंग से बेइंतहा लगाव था। अपने बचपने में उसने बड़ी हुज्जत और परेशानी सहने के बाद एक बड़ा-सा पतंग बनाया था। पतंग उड़ी भी, लेकिन हवा के एक झोंके के साथ महाजन के बगीचे के बरगद में जा फँसी थी। कुंज और उसके साथ की वानर टोली महाजन के बगीचे में घुस आई थी, लेकिन महाजन के हरकारों ने उन्हें खदेड़ दिया था। कुंज छिपकर अँधेरा होने का इंतजार करने लगा। रात को वह महाजन के बगीचे में घुसा, लेकिन सतर्क कुत्ते की निगाह से बच न सका। उसकी भौं-भौं ने महाजन को बंदूक के साथ बगीचे तक पहुँचा दिया। बाद में कुंज की माँ ने महाजन के पाँव धरे तो कुंज छूटा। वह शहर आकर मजदूरी करने लगा। कभी-कभी गाँव आता। शहर में उसे पता चला कि महाजन ने उसकी माँ को पीटा है, अपमानित भी किया है। कुंज के मन में गाँठ पड़ गई। इस बीच देश आजाद हो गया था। कुंज जब गाँव पहुँचा तो नदी के पास मंदिर के अहाते में पंचायत बैठी, कुंज की माँ को लेकर। कुंज ने आव देखा न ताव सरिया से महाजन के सिर पर प्रहार कर दिया। इसी आरोप में वह जेल आया था। हवलदार जब खुले में कैदियों को काम पर ले जा रहा था नारियल के पेड़ पर लटके पतंग को देखकर कुंज पगला गया और हवा के झोंके में उड़ रहे उस पतंग के पीछे-पीछे समंदर तक भाग आया था। पुलिस अधिकारी निर्वाक खड़ा था।

ISBN 81-237-3790-4

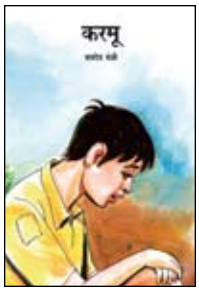

करमू

बलदेव वंशी पृ. 16 ₹ 12.00

'मै' की शैली में लिखी इस कहानी में एक दस वर्षीय बालक की पीड़ा को उकेरा गया है। शराबी बाप के दुर्व्यवहार से आजिज आकर वह बालक, करमू घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली में काम कर रहे उसके मौसा ने दिल्ली में उसे एक परिवार में घरेलू नौकर के काम में लगवा दिया। बालक घर का कूड़ा फेंकने या अन्यान्य कार्यों से बाहर निकलता तो एक मकान के अपने बरामदे पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति की आँखों में स्नेह देखकर ठिठक जाता। उस बुजुर्ग का स्नेह-प्रोत्साहन पा बालक अपने मालिक द्वारा मार-पिटाई आदि दुखों को उनसे साझा करने लगा। अगर कुछ दिन वह बालक नहीं आता तो बुजुर्ग परेशान हो जाते— कहीं करमू को उसके मालिक ने इधर-उधर जाने को मना तो नहीं कर दिया? या फिर, उसकी पिटाई तो नहीं हुई? एक दिन करमू सूजी हुई आँखों के साथ आया। वह काँप भी रहा था। बुजुर्ग का ढाढ़स पाकर वह सुबकने लगा। फिर बिलखते हुए बोला— मेरा बाप मर गया। फिर उसने बताया कि मौसा ने उसके बाप के मरने की सूचना (पत्र) उसके मालिक को दी, फिर सप्ताह बाद मालिक ने उसे बताया। बुजुर्ग ने उसे संबल दिया और कहा कि वह उसके घर-बार का पता लगाएँगे और परिवार से मिलवाएँगे। एक मार्मिक कथा।

ISBN 978-81-237-4767-5

डाक मुंशी

फकीर मोहन सेनापति पृ. 16. ₹ 7.00

अनु.: विनीता पाठक; रूपां.: गिरीश पंकज

कटक शहर के एक डाकघर में हरिसिंह चपरासी का काम करते थे। घर में पत्नी और आठ बरस का बेटा, गोपाल था। गोपाल पाठशाला जाता था। हरिसिंह आपने खर्चे बचाकर, भूखे रहकर बेटे को पढ़ाता। सोचता, एक दिन बेटा डाक बाबू बनेगा। हरिसिंह ने बड़े साहब से मिन्नत कर अपनी नौकरी बढ़वाई, ताकि बेटे की पढ़ाई में खलल न पड़े। गोपाल बड़ा होता गया और अंत में डाक बाबू का पद पा गया। गोपाल ने पहला वेतन पिता के हाथ में रखा। लेकिन धीरे-धीरे उसमें बदलाव आने लगा। उसे पिता के पहनावे से घिन आती। इधर, हरिसिंह ने बेटे के लिए नई पोशाक खरीदी। गोपाल को अब पिता को पिता कहना भी बुरा लगता। इस बीच हरिसिंह की पत्नी भी गुजर चुकी थी। एक दिन गोपाल ने बूढ़े पिता को डाँटकर कहा— मैं देहात जा रहा हूँ। घर का सारा सामान ढोकर ले आओ। बूढ़ा आदमी, जैसे-तैसे सामान ढोकर देहात पहुँचा। रात को खाँसता तो बेटे से डाँट पड़ती। और एक दिन गोपाल ने अपने चपरासी को कहकर पिता को घर से निकलवा दिया। बूढ़ा बाप बेचारा कलपता हुआ अपने पुश्तैनी गाँव चला गया। कुछ जमीन बची थी, उसी में अनाज उगाकर गुजर-बसर करने लगा। सुख-दुख गाँव के पुराने संगी-साथी से बाँटता। इधर, बेटा बाप के घर से निकल जाने पर बेहद खुश था।

ISBN 81-237-4288-6

पढ़ने का हक

नासिरा शर्मा

(भाग-2)

"इसलिए कि मंजू आजाद भारत की नागरिक है। उसको नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। तुम रोटी-कपड़ा देते हो क्योंकि माँ-बाप हो। मगर वह आजादी नहीं देना चाहते हो जो उसका जन्मजात अधिकार है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है। उसको वहाँ पढ़ने भेजो। मंजू उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। देश के सभी बच्चों के लिए ये सुविधाएँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने इसको पोलियो का, डिपथेरिया का कोई टीका नहीं लगवाया होगा। कल अगर यह लँगड़ी हुई और सूखे की बीमारी..."

"राम का नाम लो बाबू जी! सुबह-सुबह क्या अशुभ बोल रहे हो?" गोपी ने चाय छानते हुए कहा।

"शुभ और अशुभ की बात तो तुम मुझसे करो न... मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुन मंजू! तू स्कूल जाएगी। मैं तेरा नाम लिखवाऊँगा।" दिनेश ने चाय की चुस्की ली।

मंजू ने हसरत भरी आँखों से दिनेश को देखा। फिर झाड़ू लेकर वह कोठरी साफ करने चली गई। कौशल्या ने खाट बाहर डाली। मजदूरों का एक झुंड झुग्गी की तरफ आता देख गोपी ने चाय का पानी चढ़ाया। दिनेश ने खाली प्याली रखी। पैसा देते हुए फिर एक बार चेतावनी के स्वर में कहने लगा, "मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो और बेटी को स्कूल भेजो। मसखरी समझकर बात मत टालना, वरना एक दिन बाल-श्रम धारा में तुम्हें पकड़वा दूँगा।"

"बाबू जी की बात।" कौशल्या खिलखिलाकर हँस पड़ी। गोपी ने भी बात सुनी-अनसुनी कर प्यालियों में चाय नापनी शुरू कर दी। अखबारवाले के रोज-रोज के तानों से वह उकता चुका था। "काश! यह लेख तुम पढ़ सकते। इसमें बताया गया है कि बच्चों से काम कराना अपराध है। इस अपराध की सजा जेल भी हो सकती है... मगर तुमको पढ़ने- लिखने से क्या मतलब? जब समझोगे तब देर हो चुकी होगी।" दिनेश के इस तरह बताने से गोपी और कौशल्या चौंक पड़े।

बस ने हॉर्न दिया। दिनेश ने अखबार झोले में रखा और तेजी से सड़क की तरफ लपका। चाय की झुग्गी पर भीड़ अब बढ़ गई थी। हाथ में पकड़ा कूड़ा मंजू ने टूटी बाल्टी में डाला। पत्थर पर बैठ जूठे प्याले तेजी से धोने लगी। मौसम आज भी सुहावना था। गोपी बेसन और सब्जी लेने बाजार जा रहा था। कौशल्या तेजी से चाय छानने में लगी हुई थी। मंजू ने फ्रॉक के दामन से गीले हाथ पोंछे। दूधवाले की साइकिल के पास भगौना लेकर मंजू खड़ी हो गई। काँपते हाथ से दूध से भरा भगौना सँभालती वह माँ के पास पहुँची। लौटते समय जूठे प्याले उठा वह पत्थर पर लौटी। वहाँ चितकबरा कुत्ता चाय का धोवन वाला पानी गढ्ढ़े से चाट रहा था।

'मुझे पढ़ने जाना चाहिए।' मंजू के मन में इच्छा तड़पी।

'बापू और माई की मार पड़ेगी।' मंजू के दिमाग ने उसे धमकाया।

'खा लूँगी... कितना मारेंगे? मैं मर थोड़े जाऊँगी।' सोचकर मंजू हँसी।

'जाएगी कैसे, इतना तो काम पड़ा है?' मंजू के दिमाग ने उसे चिढ़ाया।

"ऐसे... दौड़कर... बिल्कुल अभी।" मंजू ने आधे धुले बरतन वहीं छोड़े। वह सरपट दौड़ती सड़क की तरफ जा बायें हाथ मुड़ गई।

कौशल्या ने फुरसत पाई तो देखा कि पत्थर पर मंजू नहीं है। उसने पुकारकर प्याले लाने को कहा। मगर मंजू का कहीं पता न था। झुँझलाई-सी बरतन लेने पहुँची। तब तक गोपी लौट आया था। उसे देखकर कौशल्या ने राहत की साँस ली। मगर ऊपर से बोली, "कामचोर जाने कहाँ चली गई है?"

रा.पु. न्यास से प्रकाशित पुस्तक 'पढ़ने का हक' से एक अंश

शेष अगले अंक में...

साँस लेना

जीने के लिए साँस लेना बहुत जरूरी है। साँस लेते समय हमारा शरीर हवा से ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन एक गैस है। यह हवा में होती है। यह हमें दिखाई नहीं देती। हम कुछ देर किसी बंद कमरे में रहें तो घुटन होने लगती है। यह इसलिए होता है कि कमरे की हवा में ऑक्सीजन हम होती चली जाती है। खुली जगह में जाते ही हम ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि खुली जगह में ऑक्सीजन काफी होती है।

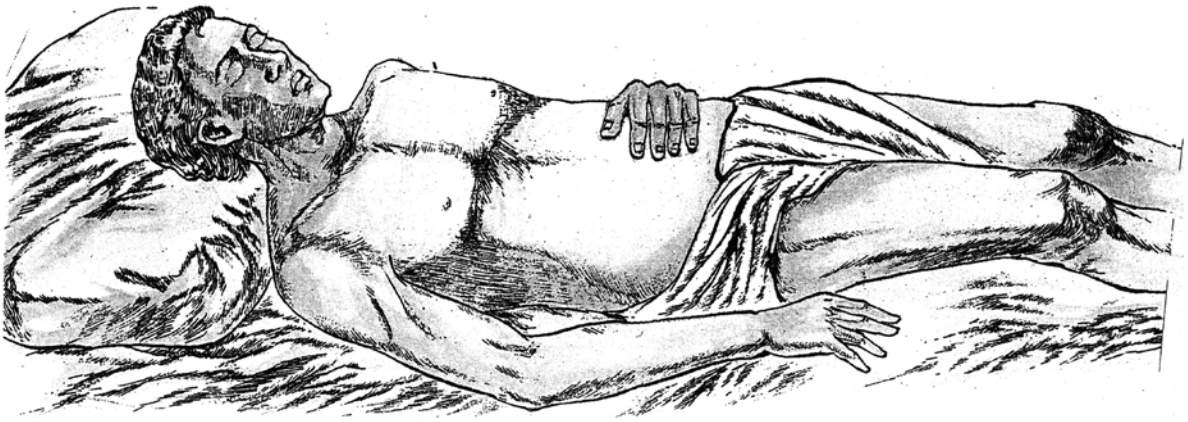

किसी सोते हुए आदमी को ध्यान से देखें। वह साँस लेता है तो उसके पेट और छाती नीचे-ऊपर होते रहते हैं। जब वह साँस अंदर लेता है तो छाती फूल जाती है। आम आदमी एक मिनट में करीब सोलह से बीस बार साँस लेता है। दौड़ने के बाद शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें जल्दी-जल्दी साँस लेना पड़ता है।

जब हम साँस लेते हैं तो हवा नाक से होती हुई गले में जाती है। हमारे गले में साँस की एक नली होती है। इसे हम अपने गले को सामने से छूकर महसूस कर सकते हैं। यह नली छाती में जाकर दो ओर बँट जाती है। दायीं नली दायें फेफड़े में हवा पहुँचाती है, और बायीं नली बायें फेफड़े में।

हमारे फेफड़े गुब्बारों की तरह होते हैं। जब हम साँस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं। फेफड़ों में खून की बारीक नालियों का जाल होता है। फेफड़ों में भरी हवा में से ऑक्सीजन खून में आ जाती है। खून में एक गैस होती है, कार्बन-डाइऑक्साइड। यह गैस खून से निकलकर फेफड़ों में आ जाती है। अब हम साँस बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार अंदर जाने वाली साँस में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। बाहर आने वाली साँस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। इस तरह शरीर बाहर से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है।

आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कुछ दिनों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए पेड़-पौधे हमारी मदद करते हैं। पेड़-पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इससे हमारे आसपास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती। है न पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी!

फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर खून दिल में जाता है। यहाँ से इसे शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है। (...जारी)

रा.पु. न्यास, भारत (नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया) से प्रकाशित पुस्तक 'मानव शरीर'(ले.: रमेश बिजलानी) से एक अंश

प्रथम सूचना रपट (एफ.आई.आर.)

किसी भी दंडनीय अपराध की पुलिस को सबसे पहले दी गई सूचना को 'प्रथम सूचना रपट' या एफ.आई.आर. कहते हैं। कानूनी नियमों में यह बहुत ही जरूरी कार्यवाही है। इसके लिए कुछ खास नियमों को जानना जरूरी है।

- प्रथम या पहला सूचना रपट मुँहजबानी लिखवाया जा सकता है।
- लिखित प्रथम सूचना रपट की अहमियत ज्यादा है।
- अगर पुलिस यह सूचना लिखती है, तो लिखने के बाद वह लिखवाने वाले को पढ़कर सुनाएगी। फिर उस पर दस्तखत लेगी या अँगूठे का निशान लगवाएगी।
- प्रथम सूचना रपट घटना के तुरंत बाद लिखवाना जरूरी है।
- यह रपट थानेदार के अलावा पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त भी लिख सकता है।
- प्रथम सूचना रपट की कार्यवाही के बाद जाँच अधिकारी घटना की छानबीन करेगा।

रा.पु.न्यास, भारत से प्रकाशित सुषमा मेढ़ द्वारा लिखित पुस्तक 'महिलाओं के कानूनी अधिकार' से एक अंश

R. N.I. No. 65414/96
Postal Regd. No. DL-SW-1/4078/2015-17
Licence to post without prepayment
L. No. U(SW) 22/2015-17
Mailing date 25/26 same month
Date of publication 15/1/2015

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला
प्रगति मैदान, नई दिल्ली
14 से 22 फरवरी, 2015
अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें
www.newdelhiworldbookfair.gov.in

'साक्षरता संवाद' के अंतिम दो पृष्ठ 7 और 8, नवसाक्षरों के लिए हैं। इसे अलग करके अन्य पठन सामग्री के साथ रखा जा सकता है।

संपादक : **उमा बंसल**
कार्यकारी संपादक : **दीपक कुमार गुप्ता**
संपादकीय सहयोग : **अल्पना भसीन**
उत्पादन अधिकारी : **नरेन्द्र कुमार**

साक्षर भारत
nbt.india
एकः सूते सकलम्

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
(नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया)
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
ई-मेलः office.nbt@nic.in
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in

पाठकों से अनुरोध है कि वे **साक्षरता संवाद** के बारे में अपने विचार संपादक को लिखें।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की ओर से सतीश कुमार द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा.लि., डब्ल्यू-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II नई दिल्ली-110020 से टाइपसेट एवं मुद्रित और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 से प्रकाशित। संपादक : उमा बंसल।

डाक वापसी की दशा में कृपया इस पते पर वापस करें :
नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070